


Member of Parliament Local Area Development Scheme



सत्यमेव जयते



एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

FAX : 011-23364197

E-mail : mplads@nic.in

07.09.2016

Dated

फा.सं.आर-23/01/2010-एमपीलैड्स

सेवा में,

- (1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
- (2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: बिना अंतराल के राज्य सभा के पुनर्निर्वाचित सांसदों के संबंध में एमपीलैड्स निधियों की निर्मुक्ति तथा प्रबंधन ।

महोदय/महोदया,

यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सभा के पुनर्निर्वाचित सदस्यों से संबंधित एमपीलैड्स निधियों की निर्मुक्ति से संबंधित एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.8 में संशोधन किया जाए तथा इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

“राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में, किसी विशेष राज्य में पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा नोडल जिले में छोड़ी गई निधियों की शेष राशि (वे निधियां जो अनुशंसित कार्यों के लिए नहीं हैं), सदस्य द्वारा कार्यालय छोड़ने के पश्चात् उस राज्य के उत्तरवर्ती निर्वाचित राज्य सभा सदस्यों के बीच राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। तथापि उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से पूर्व की अवधि के क्रम में पुनः निर्वाचित राज्य सभा सांसदों की शेष निधियों को (वे निधियां जो अनुशंसित कार्यों के लिए नहीं हैं) नई अवधि के लिए चयनित नोडल जिले को अंतरित किया जाएगा।”

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साई बाबा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव/मुख्य सचिव
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।